



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-486/NH-ORR-I/Water/2025-26/ 687

Date: 31.05.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Stand-Alone Ring Road / Bypasses for Nagpur City Package-I from km 0.500 to km 34.000 (km 33.50 kms) in the State of Maharashtra on BoT(Hybrid Annuity) basis -Permission for laying of water supply pipeline along & across Outer Ring Road from km 11.500 to km 17.200 (length 4200m) & 1 no. of crossing at km 16.050 -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 849 dated 28.05.2025.
2. Chief Officer, Municipal Council of Wanadongari office letter no. 1069 dated 23.04.2025.

It is to inform all concerned that Chief Officer, Municipal Council of Wanadongari letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that Chief Officer, Municipal Council of Wanadongari for subject section is as follows:

- Laying from km 11.500 to km 17.200
- Crossing at km 16.050.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subject stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments / objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(Nirmal M. Zade)

General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-486/एनएच-ओआरआर-1/जल/2025-26/ 687

दिनांक: 31.05.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में बीओटी (हाइब्रिड एन्युटी) के आधार पर नागपुर शहर पैकेज-1 के लिए किमी 0.500 से किमी 34.000 (किमी 33.50 किमी) तक स्टैंड-अलोन रिंग रोड / बाईपास को चार लेन का बनाना - किमी 11.500 से किमी 17.200 (लंबाई 4200 मीटर) तक आउटर रिंग रोड के साथ और उस पार जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने और किमी 16.050 पर 1 क्रॉसिंग की अनुमति - विनियम।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 849 दिनांक 28.05.2025।
2. मुख्य अधिकारी, नगर परिषद वानाडोंगरी कार्यालय पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 23.04.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मुख्य अधिकारी, नगर परिषद वानाडोंगरी ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. वानाडोंगरी नगर पालिका परिषद के मुख्य अधिकारी द्वारा विषय खंड के लिए प्रस्तावित मंरेखण निम्नानुसार है:
 - किमी 11.500 से किमी 17.200 तक बिछाना
 - किमी 16.050 पर क्रॉसिंग।
3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तिसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

Mansoor
31/5/25

(निर्मल एम. जाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075